यह पत्रावली अभिभाषक श्री सुमीत जैन के द्वारा दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई किये जाने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से दिनांक 26.11.2018 को प्रार्थना पत्र प्रकरण को निस्तारण किये जाने का पेश किया था किन्तु मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर से पत्रावली प्राप्त नही होंने के कारण आदेश नही किये जा सकें। चूँकि अपील मान्नीय मण्डल से प्राप्त हो गई है इसलिए अपील आगे नहीं चलाये जाने से खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने के कारण खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।